	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 22, मंगलवार, *शाके* 1941–फरवरी 11, 2020	
	Magha 22, Tuesday, Saka 1941–February 11, 2020	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत
करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 11, 2020

एफ. 13 (3)विशा/विस/2020 :-**राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020** जैसा कि दिनांक 11 फरवरी, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक सं.3

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को, सुशासन के अध्युपाय के रूप में, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष, पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए, जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए; राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का, उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह 18 दिसम्बर, 2019 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आधार संख्यांक" से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यष्टि को जारी किया गया पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;

(ख) "अधिप्रमाणन" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी व्यष्टि की जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्यांक केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को, और जन आधार आई.डी. जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को, उसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार उसके पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उसकी शुद्धता को या कमी को सत्यापित करता है;

(ग) "प्राधिकरण" से धारा 19 के अधीन स्थापित और गठित राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "बायोमैट्रिक सूचना" से किसी व्यष्टि का फोटो, अंगुलि छाप, आइरिस स्कैन, या ऐसी अन्य जैविक विशेषता, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, अभिप्रेत है;

(ङ) "केन्द्रीय अधिनियम" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) अभिप्रेत है;

(च) "जनसांख्यिकीय सूचना" में किसी व्यष्टि का नाम, जन्म की तारीख, पता, जाति, जनजाति, हकदारी का अभिलेख, आय और चिकित्सीय इतिहास और अन्य सुसंगत सूचना सम्मिलित है;

(छ) "नामांकन" से इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी कुटुंब का नामांकन अभिप्रेत है;

(ज) "कुटुंब" से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा एक दूसरे से संबंधित और सामान्य रूप से साथ-साथ निवास और भोजन करने वाले सदस्यों का समूह अभिप्रेत है;

(झ) "निधि" से धारा 28 के अधीन स्थापित प्राधिकरण की निधि अभिप्रेत है;

(ञ) "सरकारी निकाय" से राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित कोई निकाय अभिप्रेत है;

(ट) "कुटुंब का मुखिया" से कुटुंब के सदस्यों द्वारा कुटुंब के मुखिया के रूप में विहित रीति से घोषित, कुटुंब की अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला सदस्य अभिप्रेत है:

परन्तु यदि नामांकन के समय किसी कुटुंब में अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं हो तो कुटुंब के इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी पुरुष सदस्य को, कुटुंब की किसी पात्र महिला सदस्य द्वारा उसका स्थान लेने तक, कुटुंब का मुखिया घोषित किया जा सकेगा; या यदि नामांकन के समय किसी कुटुंब में इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई पुरुष सदस्य नहीं हो तो कुटुंब के किसी भी लिंग के आयु में सबसे बड़े किसी सदस्य को कुटुंब के सदस्यों द्वारा कुटुंब का मुखिया घोषित किया जा सकेगा। यदि कुटुंब का ऐसा मुखिया पुरुष है तो वह कुटुंब की किसी पात्र महिला सदस्य द्वारा उसका स्थान लेने तक ही इस प्रकार मुखिया बना रह सकता है;

(ठ) कुटुंब के किसी सदस्य के संबंध में "पहचान सूचना" में उसका आधार संख्यांक और उसकी जनसांख्यिकीय सूचना सम्मिलित है;

(ड) "जन आधार आई.डी." से किसी कुटुंब की पहचान करने के लिए धारा 6 के अधीन जारी की गयी विशिष्ट जन आधार आई.डी. अभिप्रेत है;

(ढ) "जन आधार प्लेटफार्म" से निवासी और सरकारी विभाग/सरकारी निकाय के बीच इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सृजित कोई इलैक्ट्रानिक मेकेनिज्म आफ इन्टरफेस अभिप्रेत है;

(ण) "जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार" से इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन सृजित जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार अभिप्रेत है;

(त) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(थ) "लोक कल्याणकारी प्रसुविधा" से राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी सरकारी निकाय के माध्यम से किसी व्यष्टि या किसी कुटुंब को, चाहे नकद या वस्तु रूप में, उपलब्ध कराया गया कोई भी लाभ, दान, पुरस्कार, राहत, सहायता, सहायिकी या कोई संदाय अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य प्रसुविधाएं सम्मिलित हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें;

(द) "हकदारी का अभिलेख" से किसी कार्यक्रम या स्कीम के अधीन लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनके लिए कोई कुटुंब या उसका कोई भी सदस्य हकदार है, के अभिलेख अभिप्रेत हैं;

(ध) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन नामांकन के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई इकाई अभिप्रेत है;

(न) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(प) "निवेदक इकाई" से कोई सरकारी विभाग या सरकारी निकाय अभिप्रेत है जो जन आधार आई.डी., पहचान सूचना और फोटो (यदि अपेक्षित हो) अधिप्रमाणन के लिए जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को प्रस्तुत करता है;

(फ) "निवासी" से, उसके सभी व्याकरणिक रूपभेदों सहित, ऐसा निवासी, जिसने राजस्थान के किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले छह मास या इससे अधिक तक निवास किया है, या ऐसा व्यक्ति, जो उस क्षेत्र में आगामी छह मास या उससे अधिक तक निवास करने का आशय रखता है, अभिप्रेत है;

(ब) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(भ) "सेवा" से किसी कुटुंब या किसी व्यष्टि को किसी भी रूप में उपलब्ध करायी गयी कोई सामग्री, सुविधा, उपयोगिता या कोई अन्य सहायता अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें;

(म) "सत्यापन" से नामांकन के समय कुटुंब के मुखिया या किसी वयस्क सदस्य द्वारा प्रस्तुत की गयी पहचान सूचना की शुद्धता को सत्यापित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु इसमें ऊपर परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उन्हें केन्द्रीय अधिनियम के अधीन समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2
अधिप्रमाणन

3. लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आधार और/या जन आधार का अधिप्रमाणन और सबूत आवश्यक होना.- राज्य सरकार, किन्हीं ऐसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनका व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए किसी व्यष्टि की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा व्यष्टि आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. का अधिप्रमाणन करवाये या उसके कब्जे का सबूत दे या ऐसे किसी व्यष्टि के मामले में, जिसे कोई आधार संख्यांक और कोई जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की गयी है वहां ऐसा व्यष्टि नामांकन के लिए आवेदन करेः

परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की जाती है तब तक उस व्यष्टि को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के परिदान के लिए पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा स्कीम अधिसूचित करना.- राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं और सेवाएं, जिनके लिए धारा 3 के अनुसार ऐसे अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित हैं, अधिसूचित करेगी।

5. केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 3 का लागू होना.- केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन पर लागू होंगे।

अध्याय 3
जन आधार कार्ड

6. जन आधार कार्ड के लिए नामांकन.- (1) राज्य का प्रत्येक निवासी कुटुंब, अपने मुखिया के माध्यम से या किसी सबसे बड़े या वयस्क सदस्य के माध्यम से, अपने सभी सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो विहित रीति से प्रस्तुत करके जन आधार कार्ड अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कुटुंब के सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो प्राप्त होने पर प्राधिकरण, सूचना का ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सत्यापन करने के पश्चात्, कुटुंब का नामांकन करेगा और उस कुटुंब को एक विशिष्ट जन आधार आई.डी. समनुदेशित करेगा जो एक विशिष्ट रेंडम संख्यांक होगा।

7. जन आधार आई.डी. की मुख्य बातें.- (1) किसी कुटुंब को समनुदेशित जन आधार आई.डी. एक विशिष्ट संख्यांक होगा और यह किसी भी अन्य कुटुंब को पुनः समनुदेशित नहीं किया जायेगा।

(2) जन आधार आई.डी. एक रेंडम संख्यांक होगा और जन आधार आई.डी. धारक की विशेषताओं या पहचान से उसका कोई संबंध नहीं होगा।

(3) जन आधार आई.डी. को, अधिप्रमाणन और ऐसी अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के प्रयोजन के लिए, भौतिक या इलैक्ट्रानिक रूप में, कुटुंब के सदस्यों की पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जायेगा और अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (द) में समनुदेशित किया गया है।

8. जन आधार कार्ड.- (1) धारा 6 के अधीन नामांकन हो जाने पर प्राधिकरण, कुटुंब के मुखिया को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी फीस, यदि कोई हो के संदाय पर, जो विहित की जाये, जन आधार कार्ड जारी करेगा।

(2) यदि कुटुंब का कोई भी सदस्य इस निमित्त किये गये किसी आवेदन द्वारा ऐसी वांछा करे तो उसे भी ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी फीस, यदि कोई हो के संदाय पर, जो विहित की जाये, व्यष्टिक जन आधार कार्ड जारी किया जा सकेगा।

अध्याय 4
जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार और सूचना का संरक्षण

9. जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का सृजन.- (1) प्राधिकरण जन आधार निवासी आंकडे निक्षेपागार के रूप में सभी जन आधार कार्ड धारकों की पहचान सूचना और फोटो का डाटाबेस ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सृजित और संधारित करेगा।

(2) प्राधिकरण जन आधार निवासी आंकडे निक्षेपागार को सृजित और संधारित करने के लिए और जन आधार निवासी आंकडे निक्षेपागार के बारे में ऐसे किन्हीं भी अन्य कृत्यों का, जो विहित किये जायें, पालन करने के लिए किसी एजेंसी को, जिसे वह समुचित समझे, लगा सकेगा।

10. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता.- (1) प्राधिकरण जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण-

(क) समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय अंगीकृत और क्रियान्वित करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी भी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त या लगायी गयी एजेंसियां, परामर्शी, सलाहकार या अन्य व्यक्तियों के पास सूचना के लिए समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी एजेंसियों, परामर्शियों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किये गये करार या ठहराव इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण पर अधिरोपित बाध्यताओं के समान बाध्यताएं अधिरोपित करते हैं, और ऐसी एजेंसियों, परामर्शियों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के अनुदेशों पर कार्य करने की अपेक्षा करेगा।

(3) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसके अधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऐसी कोई भी एजेंसी, जो जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का संधारण करती है, चाहे अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चात्, जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में भंडारित कोई सूचना या अधिप्रमाणन अभिलेख, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार के सिवाय, किसी को भी प्रकट नहीं करेगीः

परन्तु जन आधार कार्ड धारक की जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में भंडारित कोई भी सूचना, ऐसे धारक को उसके द्वारा किये गये अनुरोध पर विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से, प्रकट की जा सकेगी।

(4) केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अधीन सूचना के संरक्षण पर लागू होंगे।

11. सूचना साझा करने पर निर्बंधन.- (1) जन आधार कार्ड धारक की इस अधिनियम के अधीन संगृहीत किसी भी पहचान सूचना और फोटो तथा जन आधार आई.डी. को, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, किसी भी कारण से चाहे वह जो कोई भी हो, किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा।

(2) जन आधार आई.डी., पहचान सूचना और फोटो को, ऐसे प्रयोजनों के सिवाय, जो विहित किये जायें, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जायेगा।

(3) कल्याणकारी स्कीमों के लिए हिताधिकारियों की पहचान करने और प्राकृतिक विपत्तियों/आपदाओं के मामले में सूचना का प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा जन आधार आई.डी., पहचान सूचना और फोटो का उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जा सकेगा।

12. किसी निवेदक इकाई द्वारा सूचना को साझा किया जाना.- (1) किसी निवेदक इकाई के पास उपलब्ध पहचान सूचना और फोटो को,-

(क) निवेदक इकाई द्वारा, पहचान सूचना के अधिप्रमाणन का अनुरोध करते समय जन आधार आई.डी. धारक के लिए विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जायेगा; और

(ख) जन आधार आई.डी. धारक की पूर्व सहमति के बिना प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) कोई निवेदक इकाई, किसी जन आधार आई.डी. धारक के अधिप्रमाणन लॉग को कुटुंब के अनुरोध पर संबंधित जन आधार आई.डी. धारक के साथ साझा कर सकेगी।

13. पहचान सूचना और फोटो में परिवर्तन.- (1) यदि किसी जन आधार कार्ड धारक कुटुंब के किसी सदस्य की कोई भी पहचान सूचना और फोटो गलत पाया जाता है या उसमें बाद में परिवर्तन हो जाता है तो कुटुंब का मुखिया या कुटुंब का कोई भी अन्य वयस्क सदस्य ऐसी पहचान सूचना या, यथास्थिति, फोटो का जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में कुटुंब के अभिलेख में ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, परिवर्तन करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से, या उप-धारा (1) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसी जांच या/और सत्यापन के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो जन आधार

निवासी आंकड़े निक्षेपागार में अपेक्षित हों, और कुटुंब के मुखिया और संबंधित सदस्य को ऐसे परिवर्तन की सूचना ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, दे सकेगा।

(3) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में कोई भी पहचान सूचना और फोटो, इस अधिनियम में उपबंधित रीति के सिवाय, परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

अध्याय 5

सेवाओं का परिदान और प्रसुविधाओं का सीधा अन्तरण

14. सेवाओं का परिदान.- (1) राज्य सरकार, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से परिदत्त की जाने वाली सेवाओं की सूची केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, ई-मित्र नेटवर्क के माध्यम से या ऐसे अन्य साधनों, जो वह उचित समझे, के माध्यम से, हिताधिकारियों को उनके घर तक या उनके निवास-स्थान के समीप लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान करने का प्रयास करेगा।

(3) ई-मित्र नेटवर्क का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध प्राधिकरण में निहित होगा।

15. हिताधिकारी को प्रसुविधा का सीधा अन्तरण.- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कोई भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधा, जब कभी ऐसी प्रसुविधाएं नकद प्रकृति की हों, अधिप्रमाणन के पश्चात्, हिताधिकारी के बैंक खाते में, और यदि लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं किसी कुटुंब की हैं तो कुटुंब के मुखिया के बैंक खाते में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सीधे अंतरित की जायेंगी।

16. सेवा परिदान के लिए जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार का उपयोग.- (1) राज्य सरकार, धारा 4 और धारा 14 के अधीन यथा अधिसूचित समस्त लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान, सरकारी विभाग या सरकारी निकाय के माध्यम से, अधिप्रमाणन के पश्चात्, जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से करेगी।

(2) प्रत्येक विभाग, धारा 14 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के संबंध में किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों के अपने विभागीय डाटाबेस को जन आधार आई.डी., बैंक खाता संख्यांक और आधार संख्यांक से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, युक्त करेगा।

(3) जब एक बार विभागीय डाटाबेस को युक्त किये जाने का कार्य पूरा हो जाता है तो विभाग अपने स्वयं के स्तर पर आगे डाटाबेस सृजित नहीं करेंगे और भविष्य में किन्हीं भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का अन्तरण और सेवाओं का परिदान करने के लिए किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों की जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में उपलब्ध पहचान सूचना और फोटो का उपयोग करेंगे।

17. संव्यवहार मैपर.- केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं या सेवाओं का और इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं या सेवाओं का प्रत्येक संव्यवहार इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अभिलिखित किया जायेगा।

18. सामाजिक लेखापरीक्षा.- (1) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की सामाजिक लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में और नगरीय

क्षेत्रों में वार्ड समितियों में या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किसी अन्य फोरम में विहित की जाये, की जायेगी।

(2) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की विशिष्टियां राज्य के जन सूचना पोर्टल पर सदैव अपलोड की जायेंगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "ग्राम सभा" और "वार्ड समिति" का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 23) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 6

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

19. प्राधिकरण की स्थापना और गठन.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण स्थापित और गठित करेगी।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, स्थावर और जंगम दोनों संपत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(5) प्राधिकरण अध्यक्ष और ऐसी संख्या में शासकीय और गैर-शासकीय सदस्यों, जो राज्य सरकार नियुक्त करे, से मिलकर बनेगा।

(6) राज्य का मुख्य सचिव प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।

20. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.- प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) रजिस्ट्रारों और नामांकन एजेंसियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए निबंधन और शर्तें, विनियमों द्वारा, विनिर्दिष्ट करना;

(ख) हिताधिकारियों को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के परिदान के लिए विद्यमान इलैक्ट्रानिक अवसंरचना का विस्तार करना;

(ग) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार को सृजित, मानीटर और संधारित करना;

(घ) जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के उपयोग के लिए नीति विरचित करना;

(ङ) जन आधार प्लेटफार्म में नयी सेवाएं जोड़ने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(च) राज्य के निवासियों के वित्तीय समावेश के लिए लाइन एजेंसियों के सहयोग से समुचित कदम उठाना;

(छ) अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन को मानीटर करना;

(ज) भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों और सरकारी निकायों के बीच समन्वय करना;

(झ) जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं को मानीटर करना;

(ञ) विनियम विरचित करना और संशोधित करना;

(ट) ऐसी समितियों या कार्य बलों या समूहों या उप-समितियों को नियुक्त करना जो प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए आवश्यक हों;

(ठ) जब कभी अपेक्षित हो, अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को आमंत्रित करना;

(ड) किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को क्रय, विनिमय, पट्टे, भाड़े द्वारा या अन्यथा अर्जित करना, जो प्राधिकरण के क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हों;

(ढ) साहाय्य, कारपोरेट सामाजिक दायित्व या कोई अन्य सहायता स्वीकार करना;

(ण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेना;

(त) राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध भिन्न-भिन्न डाटाबेसों को जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के साथ सिंक्रोनाइज करने और एकीकृत करने के लिए एक कॉमन मेकेनिज्म डिजाइन करना;

(थ) विभिन्न रूपविधानों में भंडारित कुटुंब और व्यष्टि डाटाबेसों के दोहराव को रोकते हुए सटीक और व्यापक जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार डिजाइन करना;

(द) डैशबोर्डों का रखरखाव करना और कालिक रूप से तथा राज्य सरकार द्वारा मांग किये जाने पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टें तैयार करना;

(ध) लाइन विभागों के तकनीकी दल के साथ समन्वय करना;

(न) समाज के कमजोर वर्ग के लिए संस्थागत वित्त (उधार) हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि) को लगा कर अवसर सृजित करना;

(प) बैंकिंग कोरेस्पोन्डेन्ट नेटवर्क के सृजन के लिए बैंकों के साथ समन्वय करना;

(फ) बैंकिंग कोरेस्पोन्डेन्ट को नियुक्त करना और बैंकिंग कोरेस्पोन्डेन्ट नेटवर्क का प्रबंध करना;

(ब) डिजिटल संदाय और आधार समर्थित संदायों के प्रचार के लिए अवसंरचना का संवर्धन करना;

(भ) बैंक रहित क्षेत्रों में नकद निकासी और संव्यवहार सुविधाएं उपलब्ध करवाना;

(म) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से बैंकों के साथ समन्वय करना और बैंकिंग कवरेज का विस्तार करना;

(य) क्रेडिट और बीमा स्कीमों का विस्तार करना;

(यक) राजस्व गांवों में ए.टी.एम. स्थापित करना;

(यख) प्राधिकरण के अधीन विनियमों की विरचना के माध्यम से ई-मित्र नेटवर्क विनियमित करना;

(यग) ई-मित्र नेटवर्क का रखरखाव और संवर्धन करना;

(यघ) ई-मित्र के वर्तमान नेटवर्क को कियोस्कों के अधिक स्वचालन और यंत्रीकरण द्वारा मजबूती प्रदान करके नवीकृत करना;

(यङ) ई-वाणिज्य सेवाओं के लिए ई-मित्र को भौतिक परिदान निक्षेपागार के रूप में विकसित करना;

(यच) ई-मित्र को परिदान करने के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से ई-मित्र द्वारा प्रमाण पत्रों इत्यादि का घर तक परिदान सुनिश्चित करना;

(यछ) ई-मित्र प्लस कियोस्क नेटवर्क की स्थापना करना और उसका रखरखाव करना;

(यज) ई-मित्र कियोस्क संचालकों को बैंकों के, लाइन विभागों के पदधारियों और ई-वाणिज्य विशेषज्ञों की सहायता से प्रशिक्षित करना; और

(यझ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या साधक हों।

21. गैर-शासकीय सदस्य की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें.- (1) प्राधिकरण का गैर-शासकीय सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक या राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) गैर-शासकीय सदस्य को संदेय भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(3) गैर-शासकीय सदस्य राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपना पदत्याग कर सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर, ऐसे गैर-शासकीय सदस्य के लिए यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

22. प्राधिकरण की बैठकें.- (1) प्राधिकरण वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर करेगा जो उसका अध्यक्ष विनिश्चित करे और बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(2) अध्यक्ष, या यदि वह किसी भी कारण से प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष उठाये जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे, और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति, का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

23. कार्यकारिणी समिति का गठन.- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति गठित करेगी।

(2) कार्यकारिणी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो उसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

(3) कार्यकारिणी समिति तीन मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर करेगी जो उसका अध्यक्ष विनिश्चित करे और अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध

में ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(4) अध्यक्ष, या यदि वह किसी भी कारण से कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) ऐसे सभी प्रश्न, जो कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक के समक्ष उठाये जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे, और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति, का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

24. प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के आदेशों का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के समस्त आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारिणी समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित की जायेंगी।

25. महानिदेशक की नियुक्ति.- राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया जायेगा। वह, प्राधिकरण के साधारण नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग, निम्नलिखित कृत्यों का पालन और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और सेवकों का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(ख) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के परिदान के तौर-तरीके नियत करना और उनकी प्रभावी मानीटरी तथा क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;

(ग) प्राधिकरण की संपत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबंध करना;

(घ) प्राधिकरण के लेखाओं के संबंध में कालिक रूप से जांच और लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुए, लेखाओं का सही और ठीक ठीक रखरखाव करना;

(ङ) प्राधिकरण के वार्षिक आय-व्यय के लेखे और तुलनपत्र तैयार करना;

(च) विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समय-समय पर की गयी प्रगति को सम्मिलित करते हुए अद्यतन और पूर्ण सांख्यिकी सूचना संधारित करना;

(छ) वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों पर कार्यवाही करना और उनके उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करना;

(ज) प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में बैठकें, सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित करना और रिपोर्टें तैयार करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(झ) प्राधिकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को जानकारी देने के लिए विडियो, वृत्तचित्र, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशनों का निर्माण करना; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

26. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.- (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के इतनी संख्या में पद और उनके प्रवर्ग सृजित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे और उन पर नियुक्ति कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमों द्वारा अवधारित की जायें और ये निधि में से संदत्त किये जायेंगे।

अध्याय 7

अनुदान, लेखे, लेखापरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

27. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान.- राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधान-मण्डल की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि संदत्त करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु उचित समझे।

28. प्राधिकरण की निधि.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा, धारा 27 के अधीन संदत्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त, निधि में निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा जुटायी गयी सहायता और उधार;

(ख) प्राधिकरण द्वारा फीस के रूप में प्राप्त कोई भी धनराशि;

(ग) वित्त विभाग के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी अन्य धनराशि।

(3) प्राधिकरण के गैर-शासकीय सदस्यों को भत्तों के संदाय, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्तों के संदाय को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में उपगत खर्चों की पूर्ति करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग किया जायेगा।

29. प्राधिकरण का बजट.- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित बजट उपबंधों के अनुसार से अन्यथा कोई भी व्यय उपगत नहीं करेगा।

30. वार्षिक रिपोर्ट.- प्राधिकरण, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा और आगामी वर्ष के लिए अपनी योजनाओं का उल्लेख करते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जो विहित की जाये और उसकी प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट योजनाओं के संबंध में प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन का पुनर्विलोकन भी अन्तर्विष्ट होगा।

31. लेखे और लेखापरीक्षा.- (1) प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जायें, रखे जायेंगे और उनकी लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग

द्वारा, या ऐसे अन्य व्यक्ति या निकाय, जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, द्वारा की जायेगी ।

(2) प्राधिकरण अपने लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रति, उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाये, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

32. वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखा जाना.- राज्य सरकार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

33. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति.- जो कोई भी जन आधार कार्ड धारक की पहचान सूचना और फोटो को धारा 10 के उल्लंघन में साझा या प्रकाशित करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और उस व्यक्ति को, जो ऐसे उल्लंघन से प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ है, प्रतिकर देने का दायी होगा।

34. निवेदक इकाई द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति.- जो कोई भी निवेदक इकाई होते हुए धारा 12 के उल्लंघन में किसी व्यष्टि की पहचान सूचना का उपयोग करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और उस व्यक्ति को, जो ऐसे उल्लंघन से प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ है, प्रतिकर देने का दायी होगा ।

35. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगेः

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से फर्म में कोई भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 9
विविध

36. सदस्यों, अधिकारियों इत्यादि का लोक सेवक होना.- प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और सदस्य तथा प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

37. राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कृत्यों का पालन करने में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित में उसे दे।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय, कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, अंतिम होगा।

38. शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन.- प्राधिकरण, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन की अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य, धारा 40 के अधीन की शक्ति के सिवाय, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति, किसी भी सदस्य या अधिकारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

39. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- राज्य सरकार या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति, या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य, या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

40. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

41. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.- प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विषयों के लिए उपबंध करने हेतु, जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हैं, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

42. नियमों और विनियमों का राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखा जाना.- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या ठीक अगले सत्रों की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे किसी नियम या विनियम में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम या विनियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका

कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

43. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

44. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

45. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां और किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को, सुशासन के अध्युपाय के रूप में, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष, पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए, जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए; राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान ने 2019-20 के उपांतरित बजट में "राजस्थान जन आधार योजना" की घोषणा की थी।

राजस्थान जन आधार योजना को कानूनी संस्थागत ढ़ांचा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है-

(क) निवासियों को "एक संख्यांक, एक कार्ड, एक पहचान" की मूल अवधारणा के साथ सरकारी सेवाओं के परिदान के लिए एक सर्वव्यापी बहुउद्देशीय स्कीम को क्रियान्वित करना;

(ख) व्यष्टि निवासियों के लिए आधार को एकल अभिज्ञापक के रूप में घोषित करने हेतु विधायन का उपबंध करना;

(ग) इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए "राजस्थान जन आधार प्राधिकरण" का गठन करना;

(घ) ई-मित्र के विस्तृत नेटवर्क के लिए और ई-मित्र के प्रबंधन को प्राधिकरण के अधीन लाने के लिए कानूनी ढ़ांचा उपलब्ध कराना;

(ङ) विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित समस्त प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण (डी.बी.टी.) स्कीमों को प्राधिकरण के अधीन लाना;

(च) ई-मित्र नेटवर्क के दक्ष प्रबंधन के माध्यम से निवासियों को घर तक प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान करना;

(छ) ऐसी विभिन्न कल्याणकारी स्कीमें, जिनकी प्रसुविधाएं निवासियों को परिदत्त की जाती हैं, उनके समस्त डाटाबेसों को एकीकृत करना;

(ज) अंतिम छोर तक वित्तीय समावेश और संस्थागत वित्त के लिए सुविधाओं हेतु उपबंध करना;

(झ) ग्रामीण क्षेत्रों में ई-वाणिज्य की सुविधा का परिदान करना।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 18 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 4) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।
(प्रितलिपि: संख्या प. 2(5) विधि/2/2020 जयपुर, दिनांक 7 फरवरी, 2020
प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 6 निवासी कुटुंब के नामांकन के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 8 जन आधार कार्ड जारी करने के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 9 जन आधार निवासी आकड़े निक्षेपागार के सृजन और संधारण के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 19 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना और गठन के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 21(2) प्राधिकरण के गैर-शासकीय सदस्यों को संदत्त किये जाने वाले भत्तों के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 25 प्राधिकरण के महानिदेशक की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 26 प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 27 राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान के संदाय के लिए उपबंध करता है।

इस प्रकार, जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के सृजन और संधारण में, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना में और अन्य संभार-तंत्र संबंधी कृत्यों में 38.70 करोड़ रुपये का अनावर्ती, और 4.97 करोड़ रुपये वार्षिक का आवर्ती, प्राक्कलित व्यय अन्तर्वलित होगा।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने उल्लिखित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए और राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को विनियम बनाने के लिए सशक्त करेंगेः-

खण्ड	**के संबंध में**
	राज्य सरकार (नियम)
6(1)	निवासी कुटुंब के सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो प्रस्तुत करने की रीति;
6(2)	जन आधार आई.डी. जारी करने के लिए सूचना के सत्यापन की रीति;
7(3)	जन आधार संख्यांक को कुटुंब के सदस्यों की पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार करने की अन्य शर्तें;
8(1)	जन आधार कार्ड का प्ररूप और जारी करने की रीति और उसकी फीस, यदि कोई हो;
8(2)	व्यष्टि जन आधार कार्ड जारी करने के लिए फीस, यदि कोई हो;
9(1)	जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार के सृजन और संधारण की रीति;
9(2)	जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार सृजित और संधारित करने के लिए लगायी गयी एजेंसी द्वारा पालन किये जाने वाले अन्य कृत्य;
11(2)	जन आधार, पहचान सूचना और फोटो को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट किये जाने के प्रयोजन;
13(1)	जन आधार निवासी आंकड़े निक्षेपागार में की किसी भी जनसांख्यिकी सूचना को परिवर्तित करने के लिए प्राधिकरण को अनुरोध करने की रीति;
13(2)	कुटुंब के मुखिया या संबंधित सदस्य को परिवर्तनों की सूचना देने की रीति;
15	हिताधिकारी/कुटुंब के मुखिया के खाते में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं अंतरण करने की रीति;
16(2)	कुटुंब या उसके किसी भी सदस्य के विभागीय डाटाबेस को युक्त करने की रीति;

17 लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के अधीन धन या सेवा के संव्यवहार को अभिलिखित करने की रीति;

18 ऐसे अंतराल जिनमें, और रीति जिससे, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा अभिलिखित की जायेगी;

21(2) गैर-शासकीय सदस्यों को संदेय भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

29(1) वह प्ररूप जिसमें, और समय जब प्राधिकरण अपना बजट तैयार करेगा;

30 वह प्ररूप जिसमें, और समय जब प्राधिकरण अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा; और

31(1) प्राधिकरण के लेखे संधारित करने का प्ररूप और रीति।

प्राधिकरण (विनियम)

20(क) रजिस्ट्रारों और नामांकन एजेंसियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना;

22(1) प्राधिकरण द्वारा कार्य संचालन के लिए, गणपूर्ति सहित, पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

23(3) कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्य संचालन के लिए, गणपूर्ति सहित, पालन की जाने वाली प्रक्रिया; और

26(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें अवधारित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को, सुशासन के अध्युपाय के रूप में, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष, पारदर्शी और लक्ष्यित परिदान के लिए, जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए; राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का, उपबंध करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 3 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN JAN-AADHAAR AUTHORITY BILL, 2020

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to provide for, as a measure for good governance, efficient, transparent and targeted delivery of public welfare benefits and services to the individual residing in the State of Rajasthan, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of the State, using Jan-Aadhaar ID as identifier; constitution of Rajasthan Jan-Aadhaar Authority and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:–

CHAPTER-I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 18th December, 2019.

2. Definitions.-(1)In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aadhaar number" means an identification number issued to an individual under sub-section (3) of section 3 of the Central Act;

(b) "authentication" means the process by which the Aadhaar number along with demographic information and biometric information of an individual is submitted to the Central Identities Data Repository and the Jan-Aadhaar ID to the Jan-Aadhaar Resident Data Repository for its verification and such Repository verifies the correctness, or the lack thereof, on the basis of information available with it;

(c) "Authority" means the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority established and constituted under section 19;

(d) "biometric information" means photograph, finger print, iris scan, or such other biological attributes of an individual specified by the Central Government;

(e) "Central Act" means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No.18 of 2016);

(f) "demographic information" includes information relating to the name, date of birth, address, caste, tribe, records of entitlement, income and medical history and other relevant information of an individual;

(g) "enrolment" means enrolment of a family under section 6 of this Act;

(h) "family" means a group of members related to each other by blood, marriage or adoption and normally residing together and sharing meals;

(i) "Fund" means the Fund of the Authority established under section 28;

(j) "government body" means any body owned, controlled or substantially financed by the State Government;

(k) "head of the family" means a woman member of the family of the age of eighteen years or above, declared by the family members in the prescribed manner as head of the family:

Provided that in case a family has no woman member of the age of eighteen years or above at the time of enrolment, any male member of the family of the age of twenty one years or above may be declared to be the head of the family till an eligible woman member of the family takes his place; or in case a family has no male member of the age of twenty one years or above at the time of enrolment, any eldest member of the family of any gender, may be declared as head of the family by the family members. If such head of the family is a male, he can remain so only till an eligible woman member of the family takes his place;

(l) "identity information" in respect of a member of a family includes his Aadhaar number and his demographic information;

(m) "Jan-Aadhaar ID" means a unique Jan-Aadhaar ID, for identifying a family issued, under section 6;

(n) "Jan-Aadhaar Platform" means an electronic mechanism of interface between the resident and the Government department/government body created under the provisions of this Act;

(o) "Jan-Aadhaar Resident Data Repository" means the Jan-Aadhaar Resident Data Repository created under section 9 of this Act;

(p) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(q) "public welfare benefits" means any advantage, gift, reward, relief, aid, subsidy or any payment, whether in cash or kind, provided by the State Government directly or through a government body to an individual or a family and includes such other benefits as may be notified by the State Government from time to time;

(r) "records of entitlement" means records of public welfare benefits and services under any programme or scheme for which any family or any of its members is entitled to;

(s) "Registrar" means any entity authorised or recognised by the Authority for the purpose of enrolment under this Act;

(t) "regulations" means the regulations made by the Authority under this Act;

(u) "requesting entity" means a Government Department or government body that submits the Jan-Aadhaar ID, identity information and photograph (if required) to the Jan-Aadhaar Resident Data Repository for authentication;

(v) "resident", with all its grammatical variations, means a resident who has resided in a local area of Rajasthan for the past six months or more or a person who intends to reside in that area for the next six months or more;

(w) "rules" means the rules made by the State Government under this Act;

(x) "service" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to a family or an individual and includes such other services as may be notified by the State Government from time to time;

(y) "verification" means the process of verifying the correctness of the identity information submitted by the Head of the Family or any adult member at the time of enrolment.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined herein above shall have the same meanings as respectively assigned to them under the Central Act.

CHAPTER-II
Authentication

3. Authentication and Proof of Aadhaar and/or Jan-Aadhaar necessary for receipt of Public Welfare Benefits and services.- The State Government may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of public welfare benefits and services for which the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of the State, require that such individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number and/or Jan-Aadhaar ID or in the case of an individual to whom no Aadhaar number and no Jan-Aadhaar ID has been assigned, such individual makes an application for enrolment:

Provided that till such time an Aadhaar number and/or Jan-Aadhaar ID is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of public welfare benefits and services.

4. Notifying schemes by the State Government.- The State Government shall, from time to time, notify public welfare benefits and services for which such authentication or proof is required as per section 3.

5. Application of Chapter III of Central Act.- The provisions of Chapter III of the Central Act shall *mutatis mutandis* apply to authentication under this Act.

CHAPTER-III
Jan-Aadhaar Card

6. Enrolment for Jan-Aadhaar Card.-*(1) Every resident family of the State shall be entitled, through its head or through any eldest or adult member, to obtain Jan-Aadhaar Card by submitting identity information and photograph of all its members in the prescribed manner.*

(2) On receipt of the identity information and photograph of the members of the family under sub-section (1), the Authority shall, after verifying the information in such manner, as may be prescribed, enrol the family and assign to the family a unique Jan-Aadhaar ID which shall be a unique random number.

7. Salient features of Jan-Aadhaar ID.-(1) A Jan-Aadhaar ID assigned to a family shall be a unique number and it shall not be re-assigned to any other family.

(2) A Jan-Aadhaar ID shall be a random number and bear no relation to the attributes or identity of the Jan-Aadhaar ID holder.

(3) A Jan-Aadhaar ID, in physical or electronic form subject to authentication and other conditions, as may be prescribed, shall be accepted as proof of identity and proof of address of the family members for the purpose of public welfare benefits and services and may also be accepted as proof of identity and proof of address for any other purpose.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000).

8. Jan-Aadhaar Card.-*(1) On enrolment under section 6, the Authority shall issue to the head of the family a Jan-Aadhaar Card in such form, in such manner and on payment of such fees, if any, as may be prescribed.*

(2) If any member of the family so desires by an application made in this behalf, he may also be issued an individual Jan-Aadhaar card in such form, in such manner and on payment of such fees, if any, as may be prescribed.

CHAPTER-IV

Jan-Aadhaar Resident Data Repository and Protection of Information

9. Creation of Jan-Aadhaar Resident Data Repository.-*(1) The Authority shall create and maintain a database of identity information and photograph of all the Jan-Aadhaar card holders as the Jan-Aadhaar Resident Data Repository in such manner as may be prescribed.*

(2) The Authority may engage any agency, as it may deem appropriate, to create and maintain the Jan-Aadhaar Resident Data Repository and to perform any other functions relating to the Jan-Aadhaar Resident Data Repository as may be prescribed.

10. Security and confidentiality of information.-(1) The Authority shall ensure the security and confidentiality of the data in Jan-Aadhaar Resident Data Repository.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Authority shall-

(a) adopt and implement appropriate technical and organisational security measures;

(b) ensure that the agencies, consultants, advisors or other persons appointed or engaged for performing any function of the Authority under this Act, have in place appropriate technical and organisational security measures for the information; and

(c) ensure that the agreements or arrangements entered into with such agencies, consultants, advisors or other persons, impose obligations equivalent to those imposed on the Authority under this Act, and require such agencies, consultants, advisors or other persons to act only on instructions from the Authority.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the Authority or any of its officers or other employees or any agency that maintains the Jan-Aadhaar Resident Data Repository shall not, whether during his service or thereafter, reveal any information stored in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository or authentication record to anyone except in accordance with any law for the time being in force:

Provided that any information of Jan-Aadhaar card holder stored in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository may be revealed to such holder on a request made by him in the manner specified in regulations.

(4) The provisions of Chapter VI of the Central Act shall *mutatis mutandis* apply to Protection of Information under this Act.

11. Restriction on sharing information.- (1) No identity information and photograph of Jan-Aadhaar card holder collected under this Act and Jan-Aadhaar ID shall be shared with anyone, for any reason whatsoever, except in accordance with the provisions of this Act.

(2) Jan-Aadhaar ID, identity information and photograph shall not be published, displayed or posted publicly, except for such purposes, as may be prescribed.

(3) Jan-Aadhaar ID, identity information and photograph may be used by the Government for identifying beneficiaries for welfare schemes and disseminating information in case of natural calamities/disasters in accordance with the provisions of this Act.

12. Sharing of information by a requesting entity.- (1) Identity information and photograph available with a requesting entity,-

(a) shall not be used by the requesting entity for any purpose other than that specified for the Jan-Aadhaar ID holder at the time of submitting the request for authentication of identity information; and

(b) shall not be disclosed further without the prior consent of the Jan-Aadhaar ID holder.

(2) A requesting entity may share the authentication logs of a Jan-Aadhaar ID holder with the Jan-Aadhaar ID holder concerned upon request of the family.

13. Alteration of identity information and photograph.-(1) In case any identity information and photograph of a member of the Jan-Aadhaar card holder family is found incorrect or changes subsequently, the head of the family or any other adult member of the family may request the Authority to alter such identity information or photograph, as the case may be, in the record of the family in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository in such manner, as may be prescribed.

(2) The Authority may, *suo motu* or on receipt of any request under sub-section (1), after such inquiry or/and verification as it may deem fit, make such alteration as may be required in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository, and intimate such alteration to the head of the family and the member concerned in the manner as may be prescribed.

(3) No identity information and photograph in the Jan-Aadhaar Resident Data Repository shall be altered except in the manner provided in this Act.

CHAPTER-V

Delivery of Services and direct transfer of benefits

14. Delivery of Services.-(1) The State Government may, for the purpose of establishing identity of a family or any of its members, as a condition for receipt of public welfare benefits and services, notify the list of the services under section 7 of the Central Act to be delivered through Jan-Aadhaar Platform.

(2) The Authority shall endeavour to deliver public welfare benefits and services to the beneficiaries at their doorsteps or at the places nearby to their residences through e-Mitra network or through such other means, as it may deem fit.

(3) The Administration, control and management of the e-Mitra network shall vest in the Authority.

15. Direct transfer of benefit to the beneficiary.-The State Government may, by notification, specify that any public welfare benefit, whenever such benefits are in the nature of cash shall, after authentication, be transferred directly to the bank account of the beneficiary, and in case the public welfare benefits pertain to a family, to the bank account of the head of the family, in such manner, as may be prescribed.

16. Use of Jan-Aadhaar Resident Data Repository for service delivery.-(1) The State Government, through government department or government body shall deliver all public welfare benefits and services as notified under section 4 and section 14, after authentication, through the Jan-Aadhaar Platform.

(2) Every department shall seed its departmental database of a family or any of its members pertaining to public welfare benefits notified under section 14 with the Jan-Aadhaar ID, bank account number and Aadhaar number in such manner, as may be prescribed.

(3) Once the seeding of the departmental database is completed, the departments shall not create any further database at its own level and shall use identity information and photograph of a family or any of its members available in Jan-Aadhaar Resident Data Repository for transfer of any public welfare benefits and delivery of service in future.

17. Transaction mapper.- Every transaction of public welfare benefits or services notified under section 7 of the Central Act and the public welfare benefits or services notified under section 4 of this Act shall be recorded electronically in such manner, as may be prescribed.

18. Social Audit.- (1)Social audit of the delivery of public welfare benefits shall be conducted at such intervals and in such manner, as may be prescribed in the Gram Sabhas in rural areas and the Ward Committees in urban areas or any other forum specified by the State Government by notification.

(2) Particulars of the delivery of public welfare benefits shall invariably be uploaded on the Jan-Soochana Portal of the State.

Explanation.- For the purpose of this section, the expression "Gram Sabha" and "Ward Committee" shall have same meaning as assigned to them respectively in the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.23 of 1994) and the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No.18 of 2009).

CHAPTER-VI
Rajasthan Jan-Aadhaar Authority

19. Establishment and Constitution of the Authority.-*(1)The State Government shall, as soon as may be, after commencement of this Act, by notification, establish and constitute an Authority to be called as the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority to exercise powers and discharge functions of the Authority under this Act or the rules or regulations made thereunder.*

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and may, by the said name, sue or be sued.

(3) The headquarters of the Authority shall be at Jaipur.

(4) The Authority may, with the prior approval of the State Government, establish its offices at other places in the State.

(5) The Authority shall consist of a Chairperson and such number of official and non-official members, as the State Government may appoint.

(6) The Chief Secretary of the State shall be the Chairperson of the Authority.

20. Powers and functions of the Authority.-The Authority shall exercise the following powers and discharge the following functions, namely:-

(a) to specify, by regulations, the terms and conditions for appointment of Registrars and enrolling agencies and revocation of appointments thereof;
(b) to expand existing electronic infrastructure for delivery of public welfare benefits and other services to the beneficiaries;
(c) to create, monitor and maintain Jan-Aadhaar Resident Data Repository;
(d) to frame policy for the use of the Jan-Aadhaar Resident Data Repository;
(e) to recommend to the State Government for adding new services to the Jan-Aadhaar Platform;
(f) to take appropriate steps for financial inclusion of the residents of the State in collaboration with the line agencies;
(g) to monitor the implementation of its recommendations;
(h) to coordinate between different Government departments and government bodies;
(i) to monitor public welfare benefits and services provided through Jan-Aadhaar Platform;
(j) to frame and amend the regulations;
(k) to appoint committees or task forces or groups or sub-committees as may be necessary to assist the Authority in discharging its functions;
(l) to invite experts as and when required to its meetings;
(m) to acquire by purchase, exchange, lease, hire or otherwise any property movable or immovable as may be necessary or convenient for carrying on the activities of the Authority;
(n) to accept aid, Corporate Social Responsibility or any other assistance;

(o) to borrow money from Government, Banks, Financial Institutions with prior approval of the State Government;

(p) to design a common mechanism for synchronising and integrating different databases available in the State and at the national level with Jan-Aadhaar Resident Data Repository;

(q) to design the precise and comprehensive Jan-Aadhaar Resident Data Repository by de-duplicating the family and individual databases stored in different formats;

(r) to maintain dashboards and generate analytical reports-periodically and on-demand by the State Government;

(s) to coordinate with the technical teams of line departments;

(t) to create opportunities for the Institutional Finance (loaning) for weaker section of the society by engaging various financial institutions (National Bank for Agriculture and Rural Development etc.);

(u) to coordinate with the banks for creation of Banking Correspondent Network;

(v) to appoint Banking Correspondent and manage Banking Correspondent Network;

(w) to augment infrastructure for propagation of digital payments and Aadhaar Enabled Payments;

(x) to provide cash withdrawal and transactional facilities in unbanked areas;

(y) to coordinate with the banks through State Level Bankers Committee and to expand banking coverage;

(z) to expand credit and insurance schemes;

(za) to establish ATMs in revenue villages;

(zb) to regulate the e-Mitra network through framing regulations under the Authority;

(zc) to maintain and augment e-Mitra network;

(zd) to refurbish the present network of e-Mitra by strengthening the kiosks with more automation and mechanisation;

(ze) to develop e-Mitra as physical delivery Repository for e-Commerce services;

(zf) to ensure delivery of certificates etc. at the doorstep by the e-Mitra through incentivising the e-Mitra for delivery;

(zg) to establish and maintain the e-Mitra Plus Kiosk network;

(zh) to train e-Mitra kiosk operators with the help of officials from banks, line departments and e-commerce experts; and

(zi) to exercise such other powers and discharge such other functions as may be necessary, incidental or conducive, for carrying out the purposes of this Act.

21. Term of office and other conditions of service of the non-official member.-(1) A non-official member of the Authority shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier.

(2) *The allowances payable to, and other terms and conditions of service of the non-official member shall be such as may be prescribed.*

(3) The non-official member may resign his office by giving notice in writing to the State Government and on such resignation being accepted by the State Government, such non-official member shall be deemed to have vacated his office.

22. Meetings of the Authority.- (1) The Authority shall meet at least once in a year at such place and such time as its Chairperson may decide and shall observe such rules of procedure, including quorum at such meetings, in regard to the transaction of the business at its meetings, as may be laid down by regulations.

(2) The Chairperson, or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Authority, any other member chosen by the members present at the meeting, shall preside over the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting, and, in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

23. Constitution of the Executive Committee.-(1)The State Government shall, by notification, constitute an Executive Committee of the Authority.

(2) The Executive Committee shall exercise such powers and perform such duties as may be delegated to it by the Authority from time to time.

(3) The Executive Committee shall meet at least once in three months at such place and such time, as its Chairperson may decide and shall observe such rules of procedure, including quorum at such meetings, in regard to the transaction of the business at its meetings, as may be laid down by regulations.

(4) The Chairperson or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Executive Committee, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.

(5) All questions which come up before any meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting, and, in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

24. Authentication of orders of the Authority and Executive Committee.-All orders, decisions and other instruments of the Authority and the Executive Committee shall be authenticated by the signatures of the Chairperson of the Authority or, as the case may be, the Executive Committee or any other member or any officer of the Authority or, as the case may be, the Executive Committee authorized by it in this behalf.

25. Appointment of the Director General.- *There shall be appointed by the State Government an officer not below the rank of the Secretary to the Government to be the Director General of the Authority. He shall, subject to the general control of the Authority, exercise the following powers, perform the following functions and discharge the following duties, namely:-*

(a) to supervise and control all officers and servants of the Authority;

(b) to work out modalities of delivery of the public welfare benefits and other services and ensure their effective monitoring and implementation;

(c) to manage the properties, records and funds of the Authority;

(d) to maintain true and proper accounts of the Authority including checking and auditing in respect thereof periodically;

(e) to prepare annual income and expenditure accounts and balance sheet of the Authority;

(f) to maintain up-to-date and complete statistical information, including progress made in the implementation of various programmes from time to time;

(g) to process project proposals for financial assistance and issue utilization certificates thereof;

(h) to convene meetings, seminars and workshops connected with the main objectives of the Authority and preparation of reports and follow-up action thereon;

(i) to produce video, documentary films, publicity material, literature and publications to inform general public about the various aspects of the

Authority; and

(j) to perform such other functions as may be delegated to him by the Authority.

26. Appointment of officers and employees.- *(1) The Authority may, with the prior approval of the State Government, create such number and category of posts of officers and other employees in the Authority as it may consider necessary to carry out its functions under this Act and may make appointment thereto.*

(2) The salary and allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Authority shall be such as may be determined by the Authority by regulations with the prior approval of the State Government and shall be paid out from the Fund.

CHAPTER-VII

Grants, Accounts, Audit and Annual Report

27. Grants by the State Government to the Authority.-*The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Authority by way of grants such sum of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.*

28. Fund of the Authority.-(1) There shall be established a fund known as the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Fund for the purposes of this Act.

(2) In addition to the sum of money paid by the State Government under section 27, the following shall be credited to the Fund, namely:-

(a) aids and loans raised by the Authority with the prior approval of the Finance Department;

(b) any sum of money received by the Authority by way of fees;

(c) any other sum of money received by the Authority with the prior approval of the Finance Department.

(3) The Fund shall be utilised by the Authority to meet out the expenses incurred in carrying out the purposes of this Act including payment of allowances to the non-official members of the Authority, payment of salaries and allowances to the officers and staff of the Authority.

29. Budget of the Authority.- (1)The Authority shall prepare in each financial year, in such form and at such time as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same for the approval of the State Government.

(2) The Authority shall not incur any expenditure otherwise than in accordance with the budget provisions as approved by the State Government.

30. Annual report.- The Authority shall prepare, in such form and at such time as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and its plans for the forthcoming year, and submit a copy thereof to the State Government. Every annual report shall also contain a review of the performance of the Authority in respect of the plans contained in the preceding annual report.

31. Accounts and audit.- (1) The accounts of the Authority shall be maintained in such form and manner as may be prescribed and shall be audited by the Director of Local Fund Audit Department or by such other person or body as the State Government may determine from time to time.

(2) The Authority shall furnish to the State Government before such date as may be prescribed a copy of its audited accounts together with the auditor's report thereon.

32. Annual report and auditor's report to be laid before the House of the State Legislature.- The State Government shall cause the annual report of the Authority and the

auditor's report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the House of the State Legislature.

CHAPTER-VIII
Offences and Penalties

33. Penalty for non-compliance of provisions relating to security and confidentiality of information.- Whoever shares or publishes the identity information and photograph of a Jan-Aadhaar card holder in contravention of the section 10 shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and shall be liable to compensate the person who is adversely affected by such contravention.

34. Penalty for unauthorised use by requesting entity.-Whoever, being a requesting entity, uses the identity information of an individual in contravention of section 12 shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and shall be liable to compensate the person who is adversely affected by such contravention.

35. Offences by companies.-(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.— For the purposes of this section-

(*a*) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(*b*) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

CHAPTER-IX
Miscellaneous

36. Members, officers, etc., to be public servants.-The Chairperson and members of the Authority and the Executive Committee and officers and other employees of the Authority and the Executive Committee shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act No. 45 of 1860).

37. Power of State Government to issue directions.-(1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Authority shall, in exercise of its powers or the performance of its functions under this Act, be bound by such directions on questions of policy, as the State Government may give, in writing to it, from time to time.

(2) The decision of the State Government, whether a question is one of policy or not, shall be final.

38. Delegation of powers and functions.- The Authority may, by general or special order in writing, delegate to the Executive Committee, any member or officer of the

Authority or any other person, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act, except the power under section 40, as it may deem necessary.

39. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Authority or the Executive Committee or the Chairperson or any member of the Authority or the Executive Committee or any officer or other employee of the Authority or the Executive Committee for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rule or regulation made thereunder.

40. Power of State Government to make rules.- The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

41. Power of Authority to make regulations.- The Authority may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to provide for the matters which are required by this Act to be provided by regulation.

42. Rules and regulations to be laid before the House of the State Legislature.- Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or regulation or resolves that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

43. Application of other laws not barred.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

44. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

45. Repeal and Savings.- (1) The Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Ordinance, 2019 (Ordinance No. 4 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the modified budget of 2019-20, Hon'ble Chief Minister of Rajasthan announced the "Rajasthan Jan-Aadhaar Yojana" with the objective to provide for, as a measure for good governance, efficient, transparent and targeted delivery of public welfare benefits and services to the individual residing in the State of Rajasthan, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of the State, using Jan-Aadhaar ID as identifier; constitution of Rajasthan Jan-Aadhaar Authority.

With a view to provide statutory institutional framework to the Rajasthan Jan-Aadhaar Yojana, the Bill, *inter alia*, provides for-

(a) to implement an all-pervasive multipurpose scheme, for delivering government services to the residents with the core idea of "One number, One Card, One identity";

(b) to provide for a legislation for declaring Aadhaar as the single identifier for individual residents;

(c) to constitute the "Rajasthan Jan-Aadhaar Authority" for the implementation of this Scheme;

(d) to provide a statutory framework for the extensive network of e-Mitra and to bring the management of e-Mitra under the Authority;

(e) to bring all the Direct Benefit Transfer (DBT) schemes implemented by various departments under the Authority;

(f) to deliver the benefits and services at the doorsteps of the residents through the efficient management of e-Mitra network;

(g) to integrate all the databases of various welfare schemes benefits of which delivered to the residents;

(h) to provide for the facilities for financial inclusion and institutional finance up to the last mile;

(i) to deliver facility of e-commerce in the rural areas.

Since, the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority Ordinance, 2019 (Ordinance No. 4 of 2019) on 18th December, 2019, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 18th December, 2019.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रितलिपि: संख्या प. 2(5) विधि/2/2020 जयपुर, दिनांक 7 फरवरी, 2020
प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 6 of the Bill provides for enrolment of resident family.

Clause 8 of the Bill provides for issuance of Jan-Aadhaar Cards.

Clause 9 of the Bill provides for creation and maintenance of the Jan-Aadhaar Resident Data Repository.

Clause 19 of the Bill provides for establishment and constitution of Rajasthan Jan-Aadhaar Authority.

Clause 21(2) of the Bill provides for allowances to be paid to non-official members of the Authority.

Clause 25 of the Bill provides for appointment of the Director General of the Authority.

Clause 26 of the Bill provides for appointment of officers and other employees in the Authority.

Clause 27 of the Bill provides for payment of grants to the Authority by the State Government.

Thus, creation and maintenance of the Jan-Aadhaar Resident Data Repository, setting up of the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority and other logistical functions shall involve an estimated expenditure of Rs. 38.70 crore as non-recurring and Rs. 4.97 crore annually as recurring.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules and the Rajasthan Jan-Aadhaar Authority to make regulations, with respect to matters mentioned against each such clause:-

Clauses	With respect to State Government (Rules)
6(1)	manner of submitting identity information and photographs of members of resident family;
6(2)	manner of verifying the information for issuance of Jan-Aadhaar ID;
7(3)	other conditions for accepting a Jan-Aadhaar number as proof of identity and proof of address of the family members;
8(1)	form and manner of issuance of Jan-Aadhaar card and fee, if any, thereof;
8(2)	fee, if any, for issuance of individual Jan-Aadhaar card;
9(1)	manner of creating and maintaining Jan-Aadhaar Resident Data Repository;
9(2)	other functions to be performed by the agency engaged to create and maintain the Jan-Aadhaar Resident Data Repository;
11(2)	purposes for which Jan-Aadhaar, identity information and photograph shall be published, displayed or posted publicly;
13(1)	manner of requesting the Authority to alter any demographic information in Jan-Aadhaar Resident Data Repository;
13(2)	manner of intimating the alterations to the Head of the Family or the member concerned;
15	manner of transferring the public welfare benefits to the account of the

beneficiary/head of the family;

16(2) manner of seeding the departmental database of a family or any of its members;

17 manner of recording the transaction of money or service under public welfare benefits;

18 intervals at which and manner in which social audit of public welfare benefits shall be recorded;

21(2) allowances payable to, and other terms and conditions of service of the a non-official members;

29(1) form in which and time at which the Authority shall prepare its budget;

30 form in which and time at which the Authority shall prepare its annual report; and

31(1) form and manner of maintaining of accounts of the Authority.

Authority (Regulations)

20(a) specifying the terms and conditions for appointment of Registrars and enrolling agencies and revocation of appointments thereof;

22(1) the procedure for transaction of business to be followed by the Authority, including the quorum;

23(3) the procedure for transaction of business to be followed by the Executive Committee, including the quorum;

26(2) determining salaries and allowances, and other terms and conditions of service of officers and employees of the Authority;

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to provide for, as a measure for good governance, efficient, transparent and targeted delivery of public welfare benefits and services to the individual residing in the State of Rajasthan, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of the State, using Jan-Aadhaar ID as identifier; constitution of Rajasthan Jan-Aadhaar Authority and for matters connected therewith or incidental thereto.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।